

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.  
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र.  
बि. पृ. भु./ भोपाल-02-06.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म.प्र.-108 भोपाल-06-08.

# मध्यप्रदेश राजापत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2006—पौष 8, शक 1928

### भाग ४

#### विषय-सूची

- |                            |                               |                                   |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक: |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                   |

#### भाग ४ (क) — कुछ नहीं

#### भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

#### भाग ४ (ग)

#### अंतिम नियम

वन वभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्र. एफ-30-8-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन  
(वनोपज) नियम, 2000 के नियम-3 के परंतुक के खण्ड (ख)  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा,

वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-8-2002-दस-3, दिनांक  
16 मई, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि “(सात) बबूल-अकेशिया  
निलोटिका” का लोप किया जाए।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्न पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्र. एफ-30-8-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्र. एफ-30-8-2002-दस-3, दिनांक 21 दिसम्बर 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रतन पुरवार, सचिव।

Bhopal, the 21st December 2006

No. F-30-8-02-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government hereby, makes the following amendment in Notification No. F-30-8-02-X-3.dated 16th May, 2005 of the Forest Department, namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification, the entry “(vii) Babul-Acacia nilotica” shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
RATAN PURWAR, Secy.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्र. एफ-30-8-2002-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा-76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा,

मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-4 में, भाग (ख) के उपनियम (2) के खण्ड (क) में, मद (आठ) के पश्चात्, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविस्त्रियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“(नो) बबूल-अकेशिया निलोटिका。”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रतन पुरवार, सचिव।

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्र. एफ-30-8-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्र. एफ-30-8-2002-दस-3, दिनांक 21 दिसम्बर 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रतन पुरवार, सचिव।

Bhopal, the 21st December 2006

No. F-30-8-02-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Section 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules, in rule 4, in clause (a) of sub-rule (2) of Part (B), after item (viii), the following item and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“(ix) Babul-Acacia nilotica.”

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
RATAN PURWAR, Secy.